न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं० 69/2020

1. मुथूट होम फिन (इण्डिया) लिमिटेड, शाखा कार्यालय –501, पांचवी मंजिल लुहाडिया टावर, अहिंसा सर्किल, सी–स्कीम, जयपुर जरिये अधिकृत अधिकारी वीरेन्द्र सिंह राठौड़।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री केदार प्रसाद मीणा पुत्र श्री पतराम मीणा पताः– खसरा नं0 2130/1, शिव कॉलोनी, सिकराय,अन्य पताः– डेन्डा बसेडी, तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान 303502
2. श्रीमती राजेशी पत्नी श्री केदार प्रसाद मीणा पताः– खसरा नं0 2130/1, शिव कॉलोनी, सिकराय,अन्य पताः– डेन्डा बसेडी, तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान 303502

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री सांवर सिंह कसाना, अधिवक्ता प्रार्थी।

<u>आदेश</u>

दिनांकः 28.01.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणीगण श्री केदार प्रसाद मीणा पुत्र श्री पतराम मीणा पताः– खसरा नं0 2130/1, शिव कॉलोनी, सिकराय,अन्य पताः– डेन्डा बसेडी, तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान 303502 व अन्य को 10,40,737/–(रूपये दस लाख चालीस हजार सात सौ सैंतीस) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी मुथूट होम फिन (इण्डिया) लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी मुथूट होम फिन (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी मुथूट होम फिन (इण्डिया) लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति जो कि खसरा नं0 2130/1, रकबा 1 बीघा 5 बीस्वा मे से 1500 वर्गमीटर आवासीय संपरिवर्तन शुदा भूमि मे से एक आवासीय भूखण्ड जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम 49 फीट, उत्तर से दक्षिण 40 फीट कुल क्षेत्रफल 1960 वर्गफीट शिव कॉलोनी सिकराय जिला दौसा में स्थित है। जिसके पूर्व मे आजाद जोगी का मकान, पश्चिम मे रास्ता 12 फीट चौडा, उत्तर मे रास्ता 10 फीट चौडा, दक्षिण मे जगण्या माली का प्लॉट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो कि श्रीमती राजेशी मीणा पत्नि श्री केदार प्रसाद मीणा के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी मुथूट होम फिन (इण्डिया) लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 28.01.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official